

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा
निर्वाचन सदन, प्लाट नं० २, सैकटर १७
पंचकूला

अधिसूचना

क्रमांक:रा०नि०आ०/३ई- ११/२०१०/६८१९

दिनांक: २७.०८.२०१०

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, १९९४ की धारा १६१ की उप-धारा

(4) का अनुसरण करते हुये, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त, एतद् द्वारा निम्नलिखित व्यक्तिओं के नाम जो जिला परिषद के प्रधान और उप-प्रधान निर्वाचित हुये हैं, अधिसूचित किए जाते हैं:-

जिला परिषद का नाम	नाम सर्व/ श्री/श्रीमति	पिता/पति का नाम	पद का नाम
अम्बाला	पिंकी देवी	स्वर्ण सिंह	प्रधान
-सम-	गीता देवी	चमन लाल	उप-प्रधान

दिनांक पंचकूला
२६ अगस्त, २०१०

धर्मवीर
राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा